(67) 69

COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा.प्र./2017/2977

गुलाब पुत्र रामदास तेली

निवासी ग्राम ढोरी तहसील व जिला

सिगरौली म0प्र0

——— आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 28.08.17 को प्रस्तुत

28.8.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

——— अनावेदक

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिगरौली के प्र.क. 97/अ—6/1991—92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।</u>

28.8.17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

<u>प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—</u>

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम ढोरी तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115—116 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण कमांक 97/अ—6/1991—92 पर पंजीवद्ध किया किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नही हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पिड़रवाह तहसील सिगरौली की भूमि आराजी सर्वे नं. 74/9 रकवा 3.25 एकड़ है। तथा वर्ष 1982—83 से 1986—87 से 1988—89 तक भूमिस्वामी अभिलेख मे दर्ज है। प्रकरण मे उपलब्ध अभिलेख

आ०/१०/२।।५

(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग./सिंगरौली/भू.रा./17/2977

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 24/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 97/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03/03/1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	